यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर** के माह 04/2012 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 27.09.2018 से 01.10.2018 तक सम्पादित की गयी।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण विकास खण्ड, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) हैं । विकास खण्ड के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(**धनराशि रु0 लाख में**)**

| वर्ष | स्थापना | | गैर स्थापना | | बचत/ समर्पण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | स्थापना | गैर स्थापना |
| 2015-16 | 514.30 | 495.14 | 0.95 | 0.75 | 19.16 | 0.20 |
| 2016-17 | 649.63 | 546.31 | 1.26 | 1.21 | 103.32 | 0.05 |
| 2017-18 | 596.00 | 588.14 | 0.95 | 0.92 | 7.86 | 0.03 |
| 2018-19 (08/2018) | 477.37 | 333.26 | 0.35 | 0.18 | 144.11 | 0.17 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

**(**धनराशि रु0 लाख में**)**

| **वर्ष** | **योजना का नाम** | **प्रारम्भिक अवशेष** | **प्राप्त** | **व्यय** | **अंतिम अवशेष** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | NHM (RCH, Add. & Immunisation) | 21.63 | 186.94 | 178.54 | 30.03 |
| 2016-17 | | 31.157 | 172.7 | 189.08 | 14.777 |
| 2017-18 | | 15.708 | 187.37 | 187.26 | 15.818 |
| 2018-19 (08/2018) | | 16.03 | 13.80 | 27.84 | 1.99 |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार (NHM) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

**विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-**

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)

6). चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा, यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। जिसमे (04/2012 से 08/2018) तक की अवधि को आच्छादित करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2014, 09/2016, 08/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## STAN

**प्रस्तर-01 : 30-शैय्यायुक्त चिकित्सालय का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने एवं चिकित्सको, सहयोगी स्टॉफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।**

**सामान्य वित्तीय नियम-2017 के** नियम-46 के अनुसार -"While the tax revenues, non-debt capital receipts including disinvestments and borrowings are managed by the various Departments of the Ministry of Finance, the non-tax revenues are collected through all Ministries/Departments and other autonomous bodies and implementing agencies and comprise an **important source of revenue for the Government**." एवं नियम 47 के अनुसार- "…'**User Charges' is an important component of the non-tax revenues.** Each Ministry/Department may undertake an exercise to identify the 'user charges' levied by it and publish the same on its website."

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज (उधमसिंह नगर) का निर्माण स्थानीय जनता को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज को अप्रैल 2012 से पृथक आहरण-वितरण का अधिकार प्राप्त हुआ। इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि-

30 शैया में से मात्र 15 शैया का ही उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज द्वारा किया जा रहा है। शेष 15 शैया वाले वार्डों में ताले बंद है अथवा भंडारण या अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

इकाई की वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में अन्तः एवं वाह्य रोगियों की स्थिति निम्नवत थी-

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | वाह्य रोगियों (OPD) की संख्या | अन्तः रोगियों (IPD) की संख्या | IPD से प्राप्त यूज़र चार्ज (रु.) | IPD रोगियों की संख्या [=(4)/रु. 11 & 12] |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2016-17 | 56400 | 3902 | 17822 | 1620 |
| 2 | 2017-18 | 54439 | 2885 | 18167 | 1514 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में 42 प्रतिशत एवं 2017-18 में 52 अन्तः रोगियों (IPD) को ही वार्डों में भर्ती किया जा सका था। इस प्रकार 30 शैया में से मात्र 15 शैया का ही उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज द्वारा किये जाने के कारण यूजर चार्ज कम प्राप्त हुआ, जिसकी गणना निम्नवत है-

06 वर्षों में गैर-कर राजस्व की हानि: रु. 10.00[1] X 15 शैय्या X 365 दिन X 06 वर्ष = रु. 3.28 लाख

[1] छह वर्षों का औसत: रु. 10

शासन द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार प्रत्येक मरीज से सामान्य वार्ड हेतु रु. 10.00[2] का शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। इस शुल्क का उपयोग कार्यालय द्वारा चिकित्सा प्रबंधन समिति के माध्यम से स्वयं हेतु एवं 50 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति के रूप में राजकोष में जमा कराया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है की सिविल हॉस्पिटल की शैय्या-क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने से चिकित्सालय को लेखापरीक्षा अवधि में रु. 3.28 लाख के Non-Tax Revenues का हानि हुआ।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि बजट एवं स्टाफ की कमी के कारण सभी शैय्याओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि आईपीडी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा-सेवा उपलब्ध कराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उत्तरदायित्व है, जिसमे कार्यालय सफल नहीं हो सका। बजट एवं स्टाफ का प्रकरण निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत करने में चिकित्सालय द्वारा शिथिलता बरती गई क्योंकि लेखापरीक्षा को वांछित पत्राचार उपलब्ध नहीं हो सका था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रसितारगंज कस्बे के मध्य मे स्थित है जहां पर प्रति दिन अत्यधिक संख्या मे रोगी आते हैं। बहुतायात संख्या मे नवजात शिशुओं का जन्म होता है,ऐसी स्थिति मे स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंजके प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, सांयदायिक स्वास्थ केंद्र नानकमतता, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र शक्ति फार्म,अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र मैनाझुंड्डी, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, साधुनगर, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तिलियापुर एवं महिला चिकित्सालय सितारगंज संचालित हो रहा था, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र सितारगंज मे 9 चिकित्सको के सापेक्ष 5 चिकित्सक तैनात थी परन्तु अन्य स्वास्थ केंद्र व चिकित्सालय मे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्साधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक पद पर तैनाती नहीं थी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र सितारगंज एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत इकाइयों के अन्तर्गत चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के विभिन्न सवर्ग मे 132 पद स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष 76चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ की तैनाती थी, तथा 57पद रिक्त थे तथा स्वास्थ शिक्षा अधिकारी पद पर एक अतिरिक्त तैनाती थी।स्वीकृत पद व रिक्त पद का विवरण निमन्वत था-

| क्रं सं | इकाई का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ केंद्र सितारगंज | 83 | 52* | 32 |
| 2 | समुदायक स्वास्थ केंद्र नानकमतता | 26 | 8 | 18 |
| 3 | अति॰ प्रा॰ स्वा॰ केंद्र शक्तिफार्म | 7 | 4 | 3 |
| 4 | अति॰ प्रा॰ स्वा॰ केंद्र मैना झुनद्दी | 4 | 3 | 1 |
| 5 | रा॰एलो॰चि॰साधुनगर | 4 | 3 | 1 |
| 6 | रा॰एलो॰चि॰तिलियापुर | 4 | 3 | 1 |
| 7 | महिला चिकित्सालय सितारगंज | 4 | 3 | 1 |
| | | 132 | 76* | 57 |

- **स्वास्थ शिक्षा अधिकारी पद पर एक अतिरिक्त तैनाती थी।**

[2] प्रतिवर्ष 10 % की बढ़ोत्तरी

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे रोगियों की संख्या अत्यधिक थी उसके बाद भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, फिजीशियन,सर्जन,बाल रोग विशेषज्ञ, रेडिओलजिस्ट तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, सितारगंज मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफके 56 पद (42,42%) रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि पद प्रारम्भ से हो रिक्त हैं, और साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

अतः 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने एवं चिकित्सको, सहयोगी स्टॉफ के पद रिक्त रहने के कारण रु. 2.81 लाख के गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) की हानि, एवं चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर- 2- निष्प्रोज्य सामग्रियों एवं निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी नही किए जाने के कारण उसके मूल्य मे निरन्तर ह्रास होना।**

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

**उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 94/परी0/2003, दिनांक- 07 मई 2003** के अनुसार निष्प्रोज्य वाहनों के सम्बन्ध मे निर्देशित है कि

(i) निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा की वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाये।

(ii) यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत निलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है। ऐसा करने कि स्थिति मे नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश जिसमे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों के भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे। तथा **पत्र संख्या 3087/टी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त 1992 के अनुसार**

(i) विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के निष्प्रोज्य होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज के अवधि 04/2012 से 08/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य सामग्री से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2011 से 2016 तक लगभग 96 सामग्रियों नीष्प्रोज्य पड़ी हुई थी जिसमे से केवल 01 सामाग्री Obsteric Labour Table धनराशि **रु0 27560/-** का मूल्य अंकित था। इसके अलावा लगभग **पिचले 15 वर्षों से 01 वाहन संख्या UP02C1376** ओमनी वैन जिसका मूल्य निर्धारित नहीं था, आफ रोड/निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सामग्रियाँ तथा वाहन इतने लम्बी अवधि से निष्प्रोज्य पड़े हुये थे, जिनकी नियमानुसार निष्प्रोज्य होने के तुरंत 06 माह के अन्दर नीलामी की जानी चाहिये थी तथा वाहन के लिए यह भी निर्देशित था कि यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति

वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत निलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है।

इकाई के द्वारा निष्प्रोज्य सामग्रियों तथा वाहन की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम स्वरूप उक्त निष्प्रोज्य सामग्रियों तथा वाहन के वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त निष्प्रोज्य सामग्रियों तथा वाहन के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व कि अप्रत्यक्ष हानी होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकडों की पुष्टि करते हुये बताया कि निष्प्रोज्य सामग्रियों तथा वाहन की नीलामी अतिशीघ्र समिति बनाकर करा ली जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई के द्वारा उक्त नियमानुसार निष्प्रयोज्य सामग्रियों एवं वाहन की नीलामी नहीं की गयी थी।

अत: निष्प्रोज्य सामग्रियों एवं निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी नहीं किए जाने के कारण उसके मूल्य मे निरन्तर ह्रास होने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर-3- धनराशि रु0 30000/- को सामान्य भविष्य निधि से नहीं घटाये जाने के कारण रु0 48692/- का समायोजन किया जाना अपेक्षित।**

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज की लेखापरीक्षा के दौरान सामान्य भविष्य निधि पुस्तिका की जांच मे पाया गया कि श्री नानु लाल (स्वच्छक) कि सामान्य भविष्य निधि पुस्तिका (लेखा संख्या UNR/2661/00031) मे वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक गलत ब्याज दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 मे धनराशि रु 30000/- का अस्थायी अग्रिम आदेश संख्या- 27/014 दिनांक- 06.06.2014 द्वारा मकान मरम्मत हेतु स्वीकृत किया गया था। उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम अवशेष से नहीं घटाया गया तथा अस्थाई अग्रिम की वसूली भी धनराशि रु0 30000/- के सापेक्ष मात्र रु0 25000/- ही की गयी थी। जिसके कारण उक्त धनराशि पर अदेय ब्याज भी प्रदान किया जा रहा था। जिसका विवरण संलग्न तालिका के अनुसार दिया गया है। (Annexure-01 कार्यालय के अनुसार की गयी गणना है तथा Annexure-02 लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना है)

सलग्नक तालिका के अनुसार 6 वर्षो मे सामान्य भविष्य निधि खाते मे धनराशि रु0 13692/- अधिक ब्याज की गणना की गयी है तथा धनराशि रु0 5000/- की वसूली भी वित्तीय वर्ष 2014-15 से की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार रु0 30000/- कि धनराशि को विगत 6 वर्षो मे सामान्य भविष्य निधि मे घटाए नही जाने के कारण न केवल रु0 13692/- अधिक ब्याज कि गणना संबन्धित व्यक्ति के खाते मे गलत तरीके से कि गयी बल्कि धनराशि रु0 5000/- की रिकवरी भी नहीं की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण मे रु0 5000/- तथा ब्याज की राशि रु0 13692.00 कुल रु0 18692.00 की वसूली कर तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तिम अवशेष से, आहरण की गयी धनराशि रु0 30000.00 घटा कर पुनरीक्षित पास बुक बनाया जाना अपेक्षित था।

उक्त के सम्बन्ध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे तथ्य एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया कि धनराशि को घटा कर पुन: गणना कर ली जाएगी एवं धनराशि रु0 5000/- कार्यवाही कर वसूली कर ली जाएगी तथा ब्याज का समायोजन पुन: गणना करके अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अग्रिम की धनराशि को नहीं घटाए जाने के कारण इतने वर्षों से गलत ब्याज दिया जाता रहा।

इस प्रकार कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र, सितारगंज, उधमसिंह नगर द्वारा धनराशि रु0 30000/- को सामान्य भविष्य निधि से नहीं घटाये जाने के कारण धनराशि रु0 13692/- ब्याज का अधिक भुगतान तथा रु0 5000/- की वसूली अपेक्षित थी। अर्थात कुल धनराशि रु0 48692/- का समायोजन नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ANNEXURE-01** | |
| **Year** | **O.B** | **DEPOSIT** | **INTREST** | **TOTAL** | **WITHDRAWALS** | **CLOSING BLC** |
| | | | | | | |
| **2012-13** | 145237 | 67990 | 15549 | | 0 | 228774 |
| **2013-14** | 228774 | 41118 | 22091 | | 0 | 291983 |
| **2014-15** | 291983 | 46843 | 27782 | | 0 | 366608 |
| **2015-16** | 366608 | 91108 | 27797 | | 100000 | 385513 |
| **2016-17** | 385513 | 89828 | 38183 | | 0 | 513524 |
| **2017-18** | 513524 | 188749 | 18165 | | 400000 | 320438 |
| **Total** | | **525636** | **149567** | | **500000** | |
| | | | | | | |
| | | | | | **ANNEXURE-02** | |
| **Year** | **O.B** | **DEPOSIT** | **INTREST** | **TOTAL** | **WITHDRAWALS** | **CLOSING BLC** |
| | | | | | | |
| **2012-13** | 145237 | 67990 | 15911 | 229138 | 0 | 229138 |
| **2013-14** | 229138 | 41118 | 22379 | 292635 | 0 | 292635 |
| **2014-15** | 292635 | 46843 | 25348 | 364826 | 30000 | 334826 |
| **2015-16** | 334826 | 91108 | 24307 | 450241 | 100000 | 350241 |
| **2016-17** | 350241 | 89828 | 32479 | 472548 | 0 | 472548 |
| **2017-18** | 472548 | 188749 | 15451 | 676703 | 400000 | 276703 |
| **Total** | | **525636** | **135875** | **2486091** | **530000** | |

**<u>भाग-III</u>**

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0) | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | |

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | | | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भाग II अ | भाग II ब | STAN | | | |
| इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | | | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

## भाग-V

## आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य ।

2- **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य ।

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| **क्रमांक** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 01 | डाक्टर हर्ष सिंह ऐरी | चिकित्सा अधिकारी | 09/2009 से 06/2017 |
| 02 | डाक्टर विनय कुमार यादव | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी | 06/2017 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे,**